

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या: 712

गुरुवार, 23 जुलाई, 2026/1 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान किराए में वृद्धि

712. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

श्री संजय दिना पाटील:

श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जारी भू-राजनीतिक तनाव और संघर्ष के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई किराए में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि का संज्ञान लिया है जिसके परिणामस्वरूप विमान ईंधन की लागत में वृद्धि हुई है और उड़ानों में व्यवधान आया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत छह महीनों के दौरान महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई, पुणे और नागपुर को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर हवाई टिकटों की औसत कीमतों में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमान कंपनियों ने विमानन टरबाइन ईंधन की बढ़ती कीमतों और लंबी दूरी के उड़ान मार्गों के कारण ईंधन अधिभार लगाया है या किराए की संरचना में संशोधन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा विमान किराए में वृद्धि की निगरानी करने और यात्रियों को अत्यधिक किराया वृद्धि से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या किराया के युक्तिकरण के संबंध में विमान कंपनियों के साथ कोई परामर्श किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) महाराष्ट्र से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए किफायती हवाई संपर्क सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)

(क) से (च): पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनावों ने एटीएफ की कीमतों को काफी प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय वाहकों द्वारा मार्च, 2026 के मध्य में ईंधन अधिभार की शुरूआत हुई है।

एयरलाइनों द्वारा ईंधन अधिभार मार्च, 2026 में पेश किया गया था और उड़ान दूरी के आधार पर अप्रैल 2026 के महीने में संशोधित किया गया था।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि एयरलाइनें उनके द्वारा घोषित सीमा से अधिक हवाई किराया न वसूलें, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टैरिफ निगरानी इकाई

(टीएमयू) की स्थापना की है जो यादृच्छिक आधार पर मुंबई से तीन मार्गों सहित चयनित 78 मार्गों (72 घरेलू और 06 अंतर्राष्ट्रीय) पर हवाई किराए की निगरानी करती है।

सरकार ने विमानन क्षेत्र को समर्थन देने और हवाई यात्रा को किफायती बनाए रखने में मदद करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें पश्चिम एशिया संकट के कारण असाधारण ईंधन मूल्य अस्थिरता के कारण अनुसूचित भारतीय एयरलाइनों को विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) मूल्य स्थिरीकरण समर्थन प्रदान करने के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के लिए अधिकतम 10,000 करोड़ की एकबारगी बजटीय सहायता शामिल है और घरेलू प्रचालनों के लिए, एटीएफ कीमतों को 1 मार्च 2026 के आधार मूल्य पर 25% की अधिकतम वृद्धि तक सीमित किया गया था जो अप्रैल और मई, 2026 माह के लिए 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी था।

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा एटीएफ पर उच्च वैट के मुद्दे को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उठाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सितंबर 2021 से एटीएफ पर वैट कम कर दिया है। हाल ही में, मई, 2026 में, महाराष्ट्र राज्य ने 6 महीने की अवधि के लिए एटीएफ पर वैट 18% से घटाकर 7% कर दिया है।

बाजार प्रतिस्पर्धा, यात्री मांग, सीट अधिभोग और मौसमी बदलाव आदि जैसी बाजार शक्तियों के संयोजन से प्रभावित विभिन्न कारक भी हवाई किराए को प्रभावित करते हैं।

मार्च, 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरसन के साथ, एयरलाइनें वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 का अनुपालन करते हुए अपनी परिचालन और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर हवाई किराया निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

सरकार आमतौर पर बाजार प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित करने से बचती है, तथापि, यह विभिन्न सेक्टरों में क्षमता का पुनर्वितरण करके और अस्थायी किराया सीमा लागू करके सतर्क पर्यवेक्षण की अपनी भूमिका को बनाए रखती है और असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करती है, जैसे कोविड महामारी, महाकुंभ जैसे त्योहारों अथवा पहलगाम घटना और इंडिगो उड़ान व्यवधानों जैसी अन्य असाधारण घटनाओं के दौरान किया गया।

हवाई किराए को तय करने और क्षमता बढ़ाने के दौरान संतुलन/आत्म-नियमन का अभ्यास करने के लिए जागरूक बनाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर एयरलाइनों के साथ नियमित परामर्श किया जा रहा है।
